केन्द्रीय सूचना आयोग
बावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/302 दिनांक: 06.12.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00264
CICOM/R/2018/00897

अपीलकर्ता : श्री बिमल शंकर विश्वकर्मा,
सदर बाजार, बड़ी काली नं. 1 रोड,
पो0 – जमालपुर – 811214.
जिला – मुंगेर, बिहार ।

निर्णय की तारीख : 06.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	531/26.11.2018 (5584/22.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.08.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान की गई के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 28.08.2018 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिनांक 14.10.2017 एवं 27.12.2017 के दो अन्य आर.टी.आई. आवेदनों का भी उल्लेख किया गया है । लगभग एक वर्ष बाद उन आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी से शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
06 DEC 2018
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

06/12/18